(152)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 980–दो/2006 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 21–4–2006 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला सीधी – प्रकरण क्रमांक 23/2001–02 अपील

छोटेलाल पुत्र मोहन साहू
ग्राम मढ़वा तहसील रामपुर नेकिन
जिला सीधी , मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– रामायण पुत्र गणपति साहू
2– दीबीर पुत्र शंभू साहू
3– मेवालाल पुत्र बैबी वाहू
तीनों ग्राम मड़वा तहसील रामपुर नेकिन
जिला सीधी मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री बिनोद भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 26 -07-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 23/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–4–2006 केविरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी चुरहट द्वारा प्रकरण क्रमांक 165 अ–6/99–2000 में पारित आदेश दि. 30–9–2000 से ग्राम मड़वा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 967 रकबा 0.20 आरे पर अनावेदकगण
को मध्य प्रदेश वास स्थान तथा दखलकार अधिनियम 1980 के अंतर्गत भूमिस्वामी घोषित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष दिनांक 28–12–2001 को अपील प्रस्तुत की, जिसे अपर कलेक्टर सीधी ने आदेश दिनांक 21–4–06 से अवधि–वाह्य होने के कारण निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो अंकित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुनना चाहे, किन्तु उन्होंने निगरानी मेमो के तथ्यों एंव अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने हेतु निवेदन किया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार करने तथा अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 23/2001–02 अपील में आये तथ्यों तथा अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन के तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के प्रकरण क्रमांक 165 अ–6/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 30–9–2000 के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर के समक्ष दिनांक 28–12–2001 को अपील प्रस्तुत की है। अपर कलेक्टर सीधी ने म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों को समधान–कारक नहीं पाने से आदेश दिनांक 21–4–06 द्वारा अपील निरस्त की है एंव विवेचित किया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने इस्तहार का प्रकाशन विधिवत् कराया है एंव आवेदक को विधिवत् सूचना पत्र भेजकर सुनवाई के लिये आहुत किया है किन्तु सुनवाई के दिन अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही हुई है। मौके पर की गई जांच के दौरान एंव तैयार किये गये पंचनामा पर ग्रामवासियों के एंव सरपंच के हस्ताक्षर है जिसके कारण अपर कलेक्टर ने यह नहीं माना है कि आवेदक को अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा की जा कार्यवाही का ज्ञान यथासमय नहीं हुआ । अपर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–4–2006 में निकाले गये निष्कर्ष समाधान–कारक है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–4–2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर